न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
बइजलास मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र सं. 307/2022
अनुवान जगदीश प्रसाद आदि बनाम रामकुमार आदि
दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 एवं धारा 131, 136 राज.भू.रा. अधि 1956
निर्णय दिनांक 08.07.2024

1. जगदीश प्रसाद पुत्र लिच्छीराम जाति जाट निवासी भाटवाला तहसील भानीपुरा जिला चूरू
2. हीरादेवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी भाटवाला तहसील भानीपुरा जिला चूरू

—वादीगण

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रोलासर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
2. अमीलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भाटवाला तहसील भानीपुरा जिला चूरू
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति —

श्री महेन्द्र कुमार सींवर, आदेश चौधरी एडवोकेट वास्ते वादीगण
श्री ओमप्रकाश बेनीवाल, श्रीमती वीणा चौधरी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी सं0 1 व 2
पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं0 3

निर्णय

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार से है कि नानसिंह, लखसिंह पिसरान रावतसिंह कौम राजपूत सा0 मालासर तहसील नोहर के नाम की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 126 रकबा 29 बीघा 2 बिश्वा, ख0 नं0 183 रकबा 19 बीघा 5 बिश्वा, ख0 नं0 205 रकबा 39 बीघा 4 बिश्वा, ख0 नं0 296 रकबा 107 बीघा 18 बिश्वा, ख0 नं0 322 रकबा 79 बीघा 16 बिश्वा, ख0 नं0 175/328 रकबा 1 बीघा, ख0 नं0 113 रकबा 56 बीघा 9 बिश्वा, ख0 नं0 168 रकबा 56 बीघा 9 बिश्वा किता 8 कुल रकबा 389 बीघा 4 बिश्वा रोही रोलासर तहसील सरदारशहर में स्थित थी। नानसिंह व लखसिंह ने अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमियों में से ख0 नं0 168 तादादी 56 बीघा 9 बिश्वा में से 38 बीघा 9 बिश्वा भूमि आथूणी तरफ की व ख0 नं0 113 तादादी 56 बीघा 10 बिश्वा में से 9 बीघा 10 बिश्वा भूमि आथूणी तरफ की जरिये पंजीकृत बैनामा वादीनी सं0 2 के पति इन्द्राज पुत्र उदराम को विक्रय कर दी। जिसका नामान्तरण सं0 128 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ तथा ख0 नं0 113 मीन तादादी 47 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 2 को विक्रय कर दी। जिसका नामान्तरण सं0 129 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ तथा ख0 नं0 368/168 में से 18 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 के भाई रामकुमार पुत्र किशनाराम को विक्रय कर दी जिसका नामान्तरण सं0 279 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। वादी सं0 2 के पति इन्द्राज ने अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि पर मुताबिक बैनामा में वर्णित पासा के अनुसार कब्जा प्राप्त कर काश्त करनी प्रारम्भ कर दी तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने भी अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि पर खरीद के अनुसार काश्त करनी प्रारम्भ कर दी। जिसकी तरमीम नक्शा में हल्का पटवारी द्वारा कर दी गई। कृषि भूमि ख0नं0 367/113 रकबा 2.4026 हैक्टेयर, ख0नं0 369/168 रकबा 9.7240 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 12.1266 हैक्टेयर रोही रोलासर की कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। जिस पर निरन्तर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे नीचे प्रदर्शित नक्शा में दर्शाया गया है।

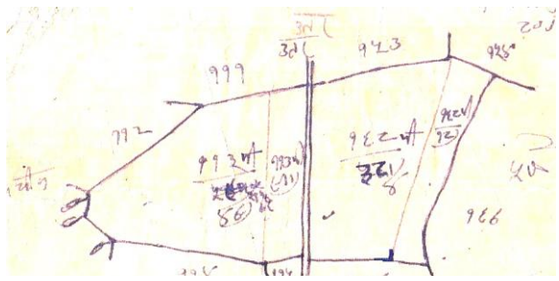

वादी सं0 2 के पति का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके नाम की खातेदारी कृषि भूमि विरास्तन नामान्तरण सं0 927 के आधार पर वादी सं0 2 व उसकी पुत्रियों को हासिल हुई। वादी सं0 2 की पुत्रियां मनोहरी, निर्मला, सरिता, रामेती ने अपनी हिस्सा भूमि का दस्तावेज उपहार पत्र वादी सं0 1 के हक में निष्पादित कर दिया। जिसका नामान्तरण सं0 1306 दिनांक 28.09.2022 को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। वादीगण वादगत कृषि भूमि पर मद सं0 1 में प्रदर्शित नक्शे व बैनामा में वर्णित पासे के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी सं0 1 के भाई ओमप्रकाश ने अपने हिस्से की कृषि भूमि का अन्तरण प्रतिवादी सं0 1 के हक में कर दिया। पक्षकारों में विवाद नक्शा तरमीम को लेकर ही है। वर्तमान में संवत 2072 में हुए बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त के कर्मचारियों ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की कृषि भूमि का नक्शा तरमीम करते समय मौका के विपरित अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत रूप से तरमीम कर दिया गया जबकि सेटलमेंट के कर्मचारियों को कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में पूर्व से चली आ रही प्रविष्टियों को यथावत ही अद्यतन करना होता है। लेकिन सेटलमेंट के कर्मचारियों ने ऐसा नहीं कर वादीगण को सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की कृषि भूमि को गलत रूप से तरमीम नक्शा में कर दिया गया और वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के खेतों की आकृति, संरचना एवं दिशा बदल दी गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 के खेतों की सही आकृति व संरचना नीचे प्रदर्शित नक्शा 'ए' के अनुसार है। जबकि सेटलमेंट के कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 के खेतों की आकृति व संरचना नीचे प्रदर्शित नक्शा 'बी' के अनुसार बना दी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के खेतों को नक्शा 'बी' में लाल रंग की डोटेड लाईन से प्रदर्शित किया गया है:–

नक्शा 'ए'

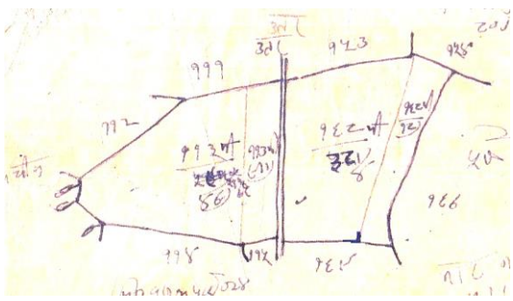

खेत प्रतिवादी सं. 2

नक्शा 'बी'

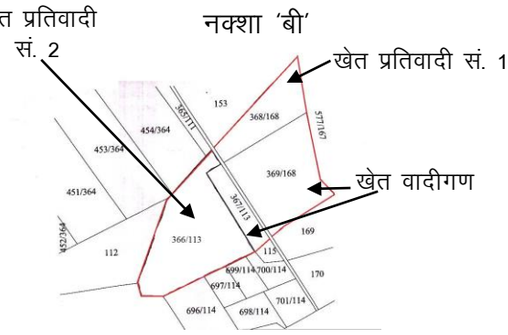

वादीगण के खेत ख0नं0 367/113 पूर्व में तथा मौके पर सीधा उतर सींव के अन्तिम छोर तक जाता है इसी अनुसार मौके पर उतर से दक्षिण सीधी सींवे बनी हुई है। जबकि प्रतिवादी सं0 2 के खेत ख0 नं0 366/113 को गलत रूप से तरमीम कर वादीगण के खेत की उतरी सींव की तरफ तरमीम कर दिया गया। इसी प्रकार वादीगण के खेत ख0 नं0 369/168 के पूर्वी तरफ प्रतिवादी सं0 1 का खेत ख0नं0 368/168 है तथा मौके पर इसी अनुसार काश्त

एवं सींवे बनी हुई है। जिसे वादीगण के खेत ख0 नं0 369/168 के उतर की तरफ गलत रूप से तरमीम कर दिया। वादीगण मौके की कब्जा काश्त एवं पूर्व में नक्शा में तरमीम के लिए दर्शायी गई रेखाओं के अनुसार जिसे ऊपर नक्शा 'ए' में दर्शाया गया है। वादीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि का नक्शा तरमीम नीचे प्रदर्शित नक्शा 'सी' के अनुसार दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करवाने की घोषणा करवाना चाहते।

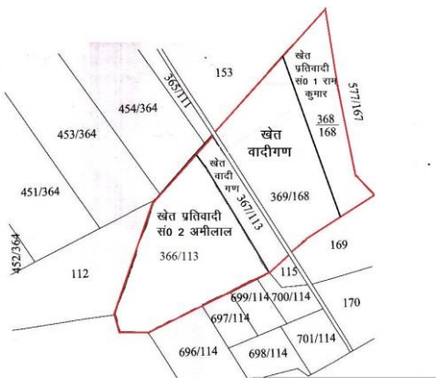

नक्शा 'सी'

वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल कर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से सम्पर्क किया और उन्हें खेतों के बने गलत नक्शा को दूरूस्त करवाने के लिए तहसील कार्यालय भानीपुरा साथ चलने को कहा तो प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने कहा कि हमारे खेत मौके पर जिस आकृति में बने हुए है उस आकृति में राजस्व कर्मचारियों को रिकॉर्ड में अपने आप तरमीम करना होगा अन्यथा जब कभी गांव में कैम्प लगेगा तब राजस्व कर्मचारियों से बात कर लेंगे ऐसा कहते हुए साथ चलकर रिकॉर्ड दूरूस्त करवाने से दिनांक 01.02.2023 को रोही रोलासर में स्पष्ट इनकार कर दिया। जिस पर वादीगण राजस्व रिकॉर्ड नक्शा की नकले लेकर नक्शा दुरूस्त करवाने के लिए दिनांक 03.02.2023 को तहसील कार्यालय भानीपुरा प्रतिवादी सं0 3 के पास गये तब प्रतिवादी सं0 3 द्वारा मामला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का होने का कहते हुए राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरूस्त करने से दिनांक 03.02.2023 को इनकार कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 3 द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। प्रतिवादी सं0 3 तहसीलदार भानीपुरा को पक्षकार वाद बनाए जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उनसे किसी प्रकार का नुकसानदेह अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा डिक्री होने की सूरत में उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम किया जाना है। इसलिए उनको बिना 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए ही पक्षकार दावा बनाया गया है। वादगत कृषि भूमि रोही रोलासर तहसील सरदारशहर में स्थित होने से दावा हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् को हासिल है। दावा वादीगण उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है। जिसमें अनुतोष की उपमद 'क' 'ख' में अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावे कि वादीगण के खेत ख0नं0 367/113 रकबा 2.4026 हैक्टेयर, ख0नं0 369/168 रकबा 9.7240 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा व प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0 नं0 368/168 रकबा 4.5522 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा तथा प्रतिवादी सं0 2 के खेत ख0 नं0 366/113 रकबा 11.8863 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा के खेतों की आकृतियां दावा की मद

सं0 3 में नक्शा 'सी' में प्रदर्शितानुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा को दूरूस्त किया जावे तथा अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा हो जावे वो भी प्रदान किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से श्री ओमप्रकाश बेनीवाल एवं श्रीमती वीणा चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की ओर इकबाल जबाब दावा पेश करते हुए वादीगण के द्वारा चाहे गये अनुतोष को प्रदत करने पर अपनी सहमति दी। प्रतिवादी सं. 3 पैरोकार राज को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब पैरोकार राज बन्द किया जाता है। वादीगण के दावा का कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की गई। वादीगण ने साक्ष्य पेश नहीं करने का लिखकर दिया और बहस की इस्तदुआ चाही।

बहस पक्षकारान वाद सुनी गई। वादीगण ने दौराने बहस दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान दावा के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख की ओर दिलाया गया और दावा की मद सं0 1 व 3 में प्रदर्शित किये गये नक्शों की ओर ध्यान दिलाया तथा दावा की मद सं0 1 में प्रदर्शित नक्शे में वादीगण की भूमि को तरमीम होना बताते हुए उसकी ओर ध्यान दिलाया और कथन किया कि वादीगण ने उक्त भूमि खरीद करने के पश्चात हल्का पटवारी ने बैनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया तत्समय हल्का पटवारी ने वादीगण को दावा की मद सं0 1 में प्रदर्शित नक्शा में खरीद की गई भूमि को तरमीम कर दिया। उसके पश्चात वादीगण उसी अनुसार अपनी खरीदशुदा भूमि पर काश्त करने लगे तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 भी अपनी खरीदशुदा भूमि को दावा में की मद सं0 3 में प्रदर्शित नक्शा 'सी' के अनुसार काश्त करने लगे। मौके पर वादीगण की एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की दावा की मद सं0 2 में प्रदर्शित नक्शा 'सी' के अनुसार है। वर्तमान संवत 2072 में हुए बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त के कर्मचारियों ने वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खेतों की आकृति संरचना व दिशा बदल दी जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। जिन्होंने पक्षकारान वाद के खेतों की आकृति दावा की मद सं0 2 में प्रदर्शित नक्शा 'बी' के अनुसार कर दी। जबकि नक्शा 'सी' के अनुसार की जानी चाहिये थी। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खेतों के नक्शे को दुरूस्त कर दावा की मद सं0 2 में प्रदर्शित नक्शा 'सी' के अनुसार किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने भी वादीगण के अधिवक्ता के कथनों पर अपनी सहमति दी और कथन किया कि पक्षकारों में हकों का कोई निर्धारण नहीं होना है और भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है। नक्शा ही राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरमीम किया है। वादीगण अपने दावा को प्रमाणित करने में सफल रहे है।

वकील वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा पैरोकार राज के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, ख0नं0 367/113 रकबा 2.4026 हैक्टेयर, ख0नं0 369/168 रकबा 9.7240 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा व प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0 नं0 368/168 रकबा 4.5522 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा तथा प्रतिवादी सं0 2 के खेत ख0 नं0 366/113

रकबा 11.8863 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा के खेतों की आकृतियां दावा की मद सं0 2 में नक्शा 'सी' के अनुसार करना राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रमाणित है। फलस्वरूप वादीगण वादगत कृषि भूमि के उपर वर्णित खसरों के नक्शों को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

<u>आदेश</u>

वाद वादीगण पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि वादीगण के खेत ख0नं0 367/113 रकबा 2.4026 हैक्टेयर, ख0नं0 369/168 रकबा 9.7240 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा व प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0 नं0 368/168 रकबा 4.5522 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा तथा प्रतिवादी सं0 2 के खेत ख0 नं0 366/113 रकबा 11.8863 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा के खेतों की आकृतियां दावा की मद सं0 3 में नक्शा 'सी' में प्रदर्शितानुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा को दूरूस्त किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

मीनू वर्मा(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

मीनू वर्मा(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

प्राथमिक डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सरदारशहर व बइजलास श्रीमती मीनू वर्मा
अनुवान जगदीश प्रसाद आदि बनाम रामकुमार आदि

1. जगदीश प्रसाद पुत्र लिच्छीराम जाति जाट निवासी भाटवाला तहसील भानीपुरा जिला चूरू
2. हीरादेवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी भाटवाला तहसील भानीपुरा जिला चूरू

–वादीगण–

1. रामकुमार पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रोलासर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
2. अमीलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भाटवाला तहसील भानीपुरा जिला चूरू
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा घोषणात्मक एवं खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री ओमप्रकाश, श्रीमती वीणा चौधरी एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वाद वादीगण पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि वादीगण के खेत ख0नं0 367/113 रकबा 2.4026 हैक्टेयर, ख0नं0 369/168 रकबा 9.7240 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा व प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0 नं0 368/168 रकबा 4.5522 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा तथा प्रतिवादी सं0 2 के खेत ख0 नं0 366/113 रकबा 11.8863 हैक्टेयर रोही रोलासर तहसील भानीपुरा के खेतों की आकृतियां दावा की मद सं0 3 में नक्शा 'सी' में प्रदर्शितानुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा को दूरूस्त किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करे।

.....

.....बीज ..... मुबलिग .....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 07 सन् 2024 को जारी की गई।

मीनू वर्मा(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर(चूरू)

मोहर

मुदई	**रूपया**	**पै.**	**मुदायलाहा**	**रूपया**	**पै.**
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	04	00			
मिजान	10	00	मिजान	02	00